

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
वेतन आयोग कोष्ठ
=====

क्रमांक डी. 272/490/1(3)/वे.आ.को./76, भोपाल, दिनांक 4th अगस्त, 1976.
प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश !


विषय :- स्नातकोत्तर तथा अन्वेषणात्मक उपाधियों के लिये अग्रिम वेतन वृद्धियाँ देने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग कोष्ठ) का ज्ञाप क्रमांक डी. 261-292-1(3)-पी.सी.सी./73 दिनांक 8-5-73.

=====

उपर्युक्त विषय पर संदर्भित ज्ञापन के सम्बन्ध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे शासकीय सेवक जो अपने वेतनमान के अधिकतम पर हैं व जिनके लिये अग्रिम वेतन वृद्धियों का समायोजन उसी वेतनमान में सम्भव नहीं है, यदि स्नातकोत्तर तथा अन्वेषणात्मक उपाधियाँ प्राप्त करें, तो उन्हें भी अग्रिम वेतन वृद्धियों की पात्रता होगी । इस प्रकार की वेतन वृद्धियाँ उक्त वेतनमान की अंतिम वृद्धि के आधार पर देय होंगी और ऐसी वेतन वृद्धियों की राशि को वैयक्तिक वेतन (Personal Pay) के रूप से माना जावेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(जी. वैकन्ना)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

.....2/-..